भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4643

जिसका उत्तर शुक्रवार, 20 मार्च, 2026/29 फाल्गुन, 1948 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरक संयंत्रों का उन्नयन

4643. श्री परषोत्तमभाई रुपाला:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उर्वरक संयंत्रों द्वारा खतरनाक रसायनों का उपयोग करने और अक्सर प्रदूषित तथा घनी आबादी वाले क्षेत्रों में स्थित होने के दृष्टिगत क्या सरकार का सार्वजनिक सुरक्षा में वृद्धि करने के लिए उर्वरक उद्योगों को अप्रचलित पात्रों, मशीनरी और प्रक्रिया उपकरणों को बदलने का निर्देश देने पर विचार है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे निर्देशों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में निर्धारित समय-सीमा और लागू सुरक्षा मानक क्या हैं;

(ग) उर्वरक इकाइयों में ऊर्जा दक्षता के नए मानकों को लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या नए निर्धारित लागत मानकों को लागू करने के लिए निर्धारित लागत नीति को संशोधित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 2014 से लंबित निर्धारित लागत मामलों की स्थिति क्या है; और

(ड.) क्या प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए आवधिक सुरक्षा समीक्षा और प्रोत्साहन पर विचार किया जा रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) (ख) और (ङ): यूरिया उत्पादन इकाइयों की सुरक्षा और संरक्षा सीधे तौर पर उर्वरक विभाग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है। तथापि, सुरक्षित संचालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभाग ने एक मॉडल सेफ्टी प्रोटोकॉल चेकलिस्ट तैयार की है, जिसे समीक्षा एवं निगरानी हेतु यूरिया इकाइयों से मासिक आधार पर प्राप्त किया जाता है। इन रिपोर्टों में अमोनिया प्रणालियों (जिसमें भंडारण टैंक शामिल हैं) की नियमित स्वास्थ्य जांच, अमोनिया भंडारण के डिजाइन में सुरक्षा उपायों को अपनाना तथा परिवहन के दौरान सुरक्षित हैंडलिंग, कर्मचारियों के लिए आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण, और आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना जैसे प्रमुख पहलुओं को शामिल किया जाता है।

एसएसपी इकाइयों के लिए, उर्वरक विभाग स्वीकृत एजेंसियों के माध्यम से एसएसपी उत्पादन इकाइयों का तकनीकी लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण कराता है। इन लेखापरीक्षणों में संयंत्र की क्षमता, उत्पादन मानक, कच्चे माल के उपयोग तथा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश के मानकों के अनुपालन का आकलन किया जाता है।

(ग): नीति आयोग के अंतर्गत एक विशेषज्ञ समूह 1 अप्रैल, 2025 से यूरिया इकाई के लिए लागू ऊर्जा मानदंडों की सिफारिश करने के लिए गठित किया गया है, जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। विभाग सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।

(घ): 2 अप्रैल 2014 से प्रभावी संशोधित एनपीएस-III के तहत 2300 रुपये प्रति मीट्रिक टन की न्यूनतम नियत लागत के प्रावधानों को बहाल करने के साथ-साथ यूरिया उत्पादन इकाइयों की नियत लागत में संशोधन की जांच की जा रही है।
